

1/2/16  
51/01/57

प्ररूप - 1



### गेहन/बन्धक/आइमान/सृजित करने के लिए प्ररूप

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1979 (1979 का 23) की धारा 12 और 12-अ हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नियम, 1979 के नियम 3 के अधीन किसी कृषि और ग्रामीण बैंक या सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के किसी सदस्य द्वारा स्थावर और जंगम सम्पत्ति पर जिसका वह स्वामी है द्वारा उसके सदस्य को दिए जाने वाले किसी ऋण के सम्बन्ध में सृजित गेहन की बाबत की जाने वाली घोषणा का प्ररूप।

हम सब को ज्ञात है कि मैं/हम : 7

1. Sh. Dev Raj पुत्र/पुत्री/विधवा श्री Late Sh. Bhag Jeet आयु 42 yrs.
2. \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/विधवा श्री \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/विधवा श्री \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/विधवा श्री \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/विधवा श्री \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_

बैंक सदस्यता संख्या 1CA1LS - 1436

निवासी ग्राम Rispan तहसील Moorang

जिला Kinnaur हिमाचल प्रदेश स्वयं अथवा द्वारा मुरक्यार

आम श्री \_\_\_\_\_ पुत्र \_\_\_\_\_ निवासी ग्राम \_\_\_\_\_

तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_

जो विलेख पंजीयन संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ फी बही संख्या \_\_\_\_\_

पृष्ठ संख्या \_\_\_\_\_ पर दर्ज है और \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ और

इस पद के अन्तर्गत जहां पर संदर्भ के अनुसार हो, उसके/उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक और समनुदेशित जिन्हें दि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित (जिसे इसमें इसके पश्चात् बैंक कहा गया है) की सदस्यता में सीमित कृषि सहित प्रवेश दिया गया है और बैंक से उधार लेने के इच्छुक है, एतद्-द्वारा घोषित करते हैं और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1979 (1979 का 23) की धारा 12 और 12-अ के अधीन तथा अपेक्षित, बैंक द्वारा दिए गए ऋण के देय संदाय सभी आगामी अग्रिम जिन्हें ऋण मंजूरी आदेश में दिए गए निम्नलिखित निबन्धों और शर्तों पर लेना स्वीकार करते हैं।

ऋण का उद्देश्य Land Development

अवधि 10yrs. ब्याज दर 11%

मैं/हम अधिकतम राशि केवल 100000/- (शब्दों में one lac only)

\_\_\_\_\_ रुपये के अध्यक्षीन ऐसी ऋण राशि और अग्रिम पर ब्याज सहित बैंक के पक्ष में अनुसूची में वर्णित स्थावर और जंगम दोनों सम्पत्तियों पर गेहन का सृजन करते हैं।

उक्त उधार लेने वाला/उधार लेने वाले एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि वह वे गेहन सम्पत्ति से सुदृष्ट हक रखता हूँ/रखते हैं हक विलेख के विवरण में दर्ज 2008-09 के अनुसार अभिधारी के रूप में मूद्युति की स्थिरता के हकदार रहते हुए सम्पत्ति को धारित करता हूँ/करते हैं और आगे हक हित न रहने पर या अन्यथा के कारण हुई किसी हानि या क्षति की पूर्ति करने के लिए आगे प्रयत्न करते हैं अपने आपको इसे निमित्त सूचना करने हैं।

Dev Raj  
बन्धककर्ता/गेहन सृजनकर्ता के हस्ताक्षर  
MANAGER  
THE H.P.S. CO OP. BANK  
बैंक अधिकारी के पदनाम सह मुद्रा सहित हस्ताक्षर  
Reelany POC

RC Accepted  
Presented by  
Sh. Dev Raj  
Identified  
by Sh. Prasad  
Kumar Sh. Sh.  
Gopal Singh  
R/o Rispan.  
Prasad Singh  
14/1/16

काध्यब  
जिला किन्नाुर



कथित उधार लेने वाला / उधार लेने वाले घोषित करते हैं कि वृजित प्रभार के अतिरिक्त गेहन सम्पत्ति पर कोई वित्तलघन नहीं है; और

कथित उधार लेने वाला / उधार लेने वाले के उक्त सम्पत्ति या इत सम्पत्ति में किसी ित को विक्रय, बन्धक, जन द्वारा तब तक अन्तरित न करने या कसब होने के लिए अपने आप को बधनबद्ध करते हैं जब तक उधार लेने वाला / उधार लेने वाले बैंक से लिए गए ऋण को पूर्णतया संवत नहीं कर देते।

उधार लेने वाला / उधार लेने वाले लिए गए ऋण को वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / मासिक, जो भी लागू हो, किश्तों में 10 वर्षों में अत्र करेगा यदि किश्तें निर्धारित देय तिथि पर या उससे पूर्व जमा न की गईं तो अतिदेय किश्तों की राशि पर 2 प्रतिशत की दर से निर्धारित ब्याज के अतिरिक्त दण्डात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

उक्त उधार लेने वाला / उधार लेने वाले इस बात पर सहमत हैं और घोषित करते हैं कि वह विलेख हिस्साचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1979 (1979 का 23) की धारा 12, 12अ की शर्तों के अधीन होगा और उसमें वह वर्तन सम्पत्ति होगी।

अब उक्त लिखित गेहन की शर्तें इस प्रकार हैं कि उधार लेने वाला / उधार लेने वाले अपनी देय समस्त राशि का भुगतान कर देते हैं और अधिनिम्न निर्देशों और बैंक की उपविधियों का अनुपालन करते हैं तो उक्त लिखित गेहन प्रभावहीन हो जाएगी अन्यथा यह पूर्णतया नगू रहेगी।

सम्पत्ति का विवरण

खाता स्वतन्त्री नं.  
134/M  
27

खसरा नं.  
52, 194.  
265 (53)

अ. स्थावर  
राजन्व ग्राम: Rajpur 12/143  
तहसील: Muzrai  
जिला: Shimla

5/32 of 00-58-23 HAC  
ie. 00-09-09 HAC  
Total:- 00-09-09 HAC

- क्षेत्र :
- (1) कृष्ट 00-08-69 HAC
  - (2) अकृष्ट 00-60-40 HAC
  - (3) अन्य 00-09-09 HAC
- बन्धककर्ता / गेहन सृजनकर्ता का अधिकार।

आ. जंगम  
जंगम सम्पत्ति / अस्तियों का निम्नपूर्वक विवरण :

MANAGER  
THE H P S CO OP. AGR.  
BANK LTD.  
बैंक अधिकारी के पदेनाम व मुद्रा सहित हस्ताक्षर  
26/10/20

बन्धककर्ता / गेहन सृजनकर्ता के हस्ताक्षर

Handwritten notes in Hindi, including the name 'Raj' and a signature.

Signature and stamp in purple ink.

उपलब्ध नं 1  
Handwritten signature.

उपलब्ध नं 2  
Handwritten signature.

Handwritten signature.

पुस्तकें किताबें जो आता है उसे खरीदना होता है, जवाब  
के अनुसार होता है और लाने के लिए दस्तावेजों को।

Signature and stamp in purple ink.



विमान अग्रिमों पर की जाती



पूजापति विमान जोता कि उपरोक्त अग्रिमों  
के विमान में लाने का काम है।

*Ram Singh*  
राम सिंह  
पुस्तकालय

345267  
..... किताब नं० I .....  
के रूप में 22 पर अग्रिमों का 1.1.16 पर .....  
पर प्रतिदिन अग्रिमों का 1 .....  
1 रुका ..... पर अग्रिमों की राशि।  
51 अथ 59

*Ram Singh*  
राम सिंह  
पुस्तकालय